

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कम्पिल

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1- रामऔतार पुत्र अमर सिंह 2- विनोद पुत्र रामप्रकाश 3- रामरहीश पुत्र हुकुम सिंह 4- रामरतन उर्फ पप्पू पुत्र अमर सिंह (मृतक) 5- रघुनाथ सिंह पुत्र सरदार सिंह (मृतक) समस्त निवासीगण हकीकतपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 22/2005 वाद स- 38/2006, 63/2007 धारा 147,148,149,302 भा०द०वि० थाना कम्पिल में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 22.11.2023 को मा० न्यायालय ए०डी०जे०- चतुर्थ ई०सी० एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 55-55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री हरिनाथ सिंह



कोर्ट मोहरीर सुनील कुमार



पैरोकार हे०का० मनोज कुमार



@fatehgarhpolic



@fatehgarhpolic



@fatehgarhpolic

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कम्पिल

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रामऔतार पुत्र अमर सिंह निवासी हकीकतपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०-104/2005 वाद स०-40/2006 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 22.11.2023 को मा० न्यायालय ए०डी०जे०- चतुर्थ ई०सी० एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषसिद्ध कर को 03 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री हरिनाथ सिंह



कोर्ट मोहरीर सुनील कुमार



पैरोकार हे०का० मनोज कुमार

 @fatehgarhpolice

 @fatehgarhpolice

 @fatehgarhpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सुनील उर्फ वटकानी पुत्र सूरज सहाय निवासी पुनपालपुर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु०अ०सं०- 31/2011 वाद सं- 306/2013 धारा- 376, 504, 506 भादवि थाना मेरापुर में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 22.11.2023 को मा० न्यायालय ए०डी०जे० प्रथम कोर्ट जनपद फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त सुनील उर्फ वटकानी को 12 वर्ष 10 माह के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।



एडीजीसी कु० दीपिका कटियार



कोर्ट मोहररि उ०नि० कैलाश सिंह



पैरोकार हे०का० देवेन्द्र कुमार



@fatehgarhpolic



@fatehgarhpolic



@fatehgarhpolic



Shot on OnePlus



